Registered under Madhya Pradesh Co-Operative Act. 1960 Registration No. 346/SHR/66

THE INSURANCE EMPLOYEES CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED , BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.)
Website : http://www.ieccsbhopal.org, E-mail: ieccsbhopal2015@gmail.com, Phone : 0755-2558388

परिपत्र नं0 / 07 / 2018 दिनांक 21.01.2018

प्रिय सदस्यगण,

नव–वर्ष व गणतंत्र दिवस 2018 की आप सभी को अनेक शुभकामनाऐं। नूतन वर्ष 2018 आप सभी के परिजनों / मित्रों के लिए उत्तम स्वास्थ्य व हर्षोल्लास भरा रहे।

वर्ष 2016–2017 के लाभांश का वितरण किया जा रहा है। जिन शाखाओं से एनईएफटी के विवरण प्राप्त हो चुके हैं। उनके लाभांश भुगतान की गणना कर दी गई है। गत वर्ष आप सभी के एनईएफटी विवरण माँगे गये थे। बार–बार एनईएफटी विवरण माँगना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ सदस्यगण अपने खाते एक बैंक से दूसरे बैंक में परिवर्तित कर रहे हैं। जिसकी सूचना सोसायटी कार्यालय को प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में एनईएफटी की गई राशि बिना आवंटन के रूक जाती है। जिन सदस्यों की राशि रूकी है उसकी जानकारी प्राप्त होने में 10 से 20 दिवस का समय लगता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि सोसायटी में वही बैंक विवरण दें जिसमें निगम से प्राप्त वेतन जमा होता है।

कार्यकारिणी द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वर्ण जयंती ऋण राशि 7 लाख का आरंभ किया गया था जिसमें प्रति माह अधिकतम 2 ऋण आवेदन वरियता क्रम के अनुसार आवंटन का निर्णय लिया गया था। योजना की जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई व कार्यकारिणी द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की गई, आप सभी का इस प्रगति में दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद।

कार्यकारिणी द्वारा सहकारिता विभाग की अंकेक्षण आपत्तियों के चलते स्वर्ण जयंती ऋण को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस ऋण के सभी आवेदन जो कि लंबित है, निरस्त मानें जायेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व से चल रहे अन्य ऋण यथावत रहेंगे व नियमानुसार आवंटित किये जायेंगे। स्वर्ण जयंती ऋण आवंटन के बाद कुछ सदस्यगण डिफाल्टरों की सूची में आ गये हैं जिनकी ऋण राशि प्राप्त होने के बाद किश्त का नियमतिकरण न होना संस्था व इसके सदस्यों के लिए हितकारी नहीं है।

साथ ही ऐसे डिफाल्टर सदस्य विधिक कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी भी हैं। कुछ ऋण प्राप्तकर्ता ऐसे सदस्यों और उनके गारंटर्स को दो माह पूर्व संस्थागत पत्र जारी कर किश्तों को नियंत्रित करवाये जाने का अनुरोध किया गया था। हर्ष का विषय है, कि कुछ गारंटर्स के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऋण ग्रहताओं से संपर्क कर किश्तों को नियमित कराया गया जो सदस्यों की संस्था की प्रगति के प्रति निष्ठा का प्रतीक है, सदस्यों के प्रयास के बावजूद भी एक दो सदस्यों की ओर से कोई ठोस प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, एवं न ही पूर्ण किश्त प्राप्त हो रही है। इस संबंध में कार्यकारिणी शीघ्र ही ठोस निर्णय लेने जा रही है जो कि संभवतः डिफालटर्स सदस्यों के प्रति वैधानिक रूप से हितकर नहीं होगा। अतः ऐसे सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि रूकी हुई किश्ते शीघ्र आरंभ करें।

जिन सदस्यों द्वारा सावधि व अल्पावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया है व परिपक्वता राशि प्राप्त की है वह अनिवार्य रूप से आगमी आयकर रिटर्न में इस आय का उल्लेख अवश्य करें जिससे प्राप्त ब्याज पर आयकर की राशि आयकर विभाग को प्राप्त हो सके साथ ही सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने KYC Form तथा पेन कार्ड की छायाप्रति 20 मार्च 2018 के पूर्व सोसायटी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवायें।

आगामी ऋण आवंटन हेतु कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऋण आवेदन प्रारूप के साथ ऋण आवेदनकर्ता को भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बाहरी जांच एजेंसी के माध्यम से किसी भी प्रकार की जांच आदि में सम्मिलित न होने संबंधित घोषणा पत्र प्रदान करना होगा व जिसे दो श्योरिटी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा जिससे अन्य सदस्यों की निधि की सुरक्षा सुश्चित की जा सके।

अंकेक्षक सहकारिता विभाग द्वारा उठाई गयी आपत्ति के निराकरण हेतु वर्तमान में प्रति शेयर रू. 10/– के स्थान पर रू. 100/– का किया जाना निर्धारित किया गया है पूर्व से स्थित सदस्यों के शेयर रू. 100/– के गुणांक में परिवर्तित किये जायेंगे व सभी सदस्यों को सूचना प्रेषित की जायेगी।

शैक्षणिक वर्ष 2017–2018 अपने चरम पर है, सभी परिवारों में बच्चे जोर–शोर से पढ़ाई में लगे हैं। कुछ बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्टता की तैयारी में भी लगे हैं, ऐसे सभी बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अनेक शुभकामनाऐं।

पुनः नूतन वर्ष की अनेक शुभकामनाओं के साथ।

समस्त कार्यकारिणी की ओर से

अध्यक्ष